

AMERICOLD'S की स्टॉक क्रय योजना आपको आपके टैक्स के बाद की कमाई के कुछ हिस्से से कॉमन शेयर रियायती कीमत में खरीदकर कंपनी का मालिक बनने का मौका देती है। इस योजना में आपकी भागीदारी स्वैच्छिक है और अपने लिए सबसे उचित योगदान राशि आप निर्धारित करते हैं।

यह योजना काम कैसे करती है

भाग लेने के लिए, पात्र सहयोगियों को नामांकन अवधि के दौरान ESPP में नामांकन करना होगा। नामांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, आप प्रत्येक प्रस्ताव अवधि के दौरान अपनी सुयोग्य कमाई से, सम्पूर्ण संख्या में (यानि 3% ना क 3.5%), 1% से 10% तक टैक्स-पश्चात पेरोल कटौती को अधिकृत करेंगे। काटी गई राशि, प्रस्ताव अवधि के दौरान संचित होती रहती है और उनका इस्तेमाल, क्रय तथिको, जो प्रत्येक प्रस्ताव अवधि के अंत में होती है, कंपनी के कॉमन स्टॉक के शेयर खरीदने के लिए किया जाता है।

हमारा ESPP, हर साल दो बार लगातार छः महीने चलने वाली प्रस्ताव अवधि पर संचालित होगा। पहली अवधि, 1 जनवरी को शुरू होगी और 30 जून की क्रय तथिको खत्म होगी। दूसरी अवधि, 1 जुलाई को शुरू होगी और 31 दिसंबर की क्रय तथिको खत्म होगी।

क्रय तथिको, प्रस्ताव अवधि के पहले ट्रेडिंग दिस को या प्रस्ताव अवधि के अंतिम दिस को, इनमें से जो कम होगा, AMERICOLD के स्टॉक के उचित बाजार मूल्य (FMV) से 15% कम का इस्तेमाल करके क्रय मूल्य नकाला जाएगा। क्रय तथिके बाद, AMERICOLD, AMERICOLD स्टॉक के उतने सम्पूर्ण शेयर जारी करेगा जितने शेयर को आपकी कुल पेरोल कटौतियों से खरीदा जा सकेगा और हमारे ESPP एडमनिस्ट्रेटर, FIDELITY INVESTMENT SERVICES में आपके व्यक्तिगत अकाउंट में डाल देगा। एक सम्पूर्ण शेयर खरीदने के लिए नाकाफ़ी शेष राशि, आपके अकाउंट में ही रहेगी जिसका इस्तेमाल अगली खरीद अवधि के लिए किया जाएगा। ESPP के माध्यम से खरीदे जाने वाले शेयर, क्रय तथिके बाद छः महीने की होल्डिंग अवधि के अधीन रहेंगे।

योग्यता

इसमें भाग लेने के लिए आप योग्य/पात्र होंगे अगर प्रस्ताव अवधि की शुरुआत में आप लगातार साठ दिन सेवा में रहे हैं और आप कम से कम बीस घंटे प्रति सप्ताह या पाँच महीने हर कैलेंडर वर्ष सेवा में रहते हैं।

नामांकन

आपको ESPP में नाम लिखवाने के लिए हर साल दो मौके मिलेंगे और आपको प्रत्येक नामांकन अवधि से पहले सूचित कर दिया जाएगा कि कैसे नामांकन भरना है। नामांकन अवधि, निम्नानुसार, प्रत्येक प्रस्ताव अवधि से पहले शुरू होती है:

- 1 जनवरी से शुरू होने वाली प्रस्ताव अवधि के लिए, नामांकन अवधि, 1-15 दिसंबर है।
- 1 जुलाई से शुरू होने वाली प्रस्ताव अवधि के लिए, नामांकन अवधि, 1-15 जून है।

संबंधित नामांकन अवधि के दौरान नाम न लिखवाने पर, आपको हमारे ESPP में भाग लेना शुरू करने के लिए अगली नामांकन अवधि तक इंतज़ार करना पड़ेगा।

